प्रसार पत्रक–09 / 2023

भाकृअनुप
ICAR

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रियंका सिंह, आर.पी. द्विवेदी, सुशील कुमार एवं ए. अरूणाचलम

केकृवाअनुसं
CAFRI

भाकृअनुप–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
झाँसी 284003 (उ.प्र.)

परिदृश्य

हमारे देश में जब भी छोटे या मध्यम वर्ग के लोग किसी भी व्यवसाय या उद्योग की शुरुवात करने को सोचते है तो उस स्थिति में सबसे बड़ी समस्या उनके सामने बैंक से ऋण लेने की होती है क्यूंकि बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया जटिल तो होती ही है और साथ ही साथ गारंटी भी देनी पड़ती है जिसमें इस वर्ग के लोग पूर्णतया असमर्थ होते है। इसलिए वे साहूकार से उच्च दर पर ऋण लेकर अपना उद्योग करते हैं। इन सब जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** की शुरुवात की। इस योजना में मुद्रा का अर्थ है – माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इस योजना के तहत देश के छोटे एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति की जाती है अतः इसके जरिये देश में स्वरोजगार के अनुपात में भी वृद्धि होने की संभावना है।

मुद्रा ऋण के लाभ

- ✓ इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए गारंटी की देने की आवश्यकता नहीं होती।
- ✓ शिशु ऋण लेने पर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगता है। किशोर एवं तरुण ऋण लेने के लिए काफी कम शुल्क देना पड़ता है।
- ✓ इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों की भुगतान अवधि भी 1 से 5 साल तक की होती है।
- ✓ महिला उद्यामियों को दिए गए ऋण पूर्णतया ब्याज रहित रहते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के प्रकार

ऋण के प्रकार	राशि
शिशु ऋण	50,000 रूपए तक
किशोर ऋण	50,000 के ऊपर और 5 लाख रूपए तक
तरुण ऋण	5 लाख के ऊपर और 10 लाख रूपए तक

मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय

क्रम सं.	व्यवसाय
1.	कमर्शियल वाहन – ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी ट्रॉली, ई–रिक्शा
2.	सर्विसेज – जिम, सैलून, सिलाई की दुकान, मेडिकल शॉप, ड्राई क्लीनिंग, फोटोकॉपी
3.	फूड प्रोडक्ट– अचार, पापड़, आइसक्रीम, बिस्कुट, मिठाई
4.	कृषि उपकरण, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पशु पालन

कैसे अप्लाई करें ?

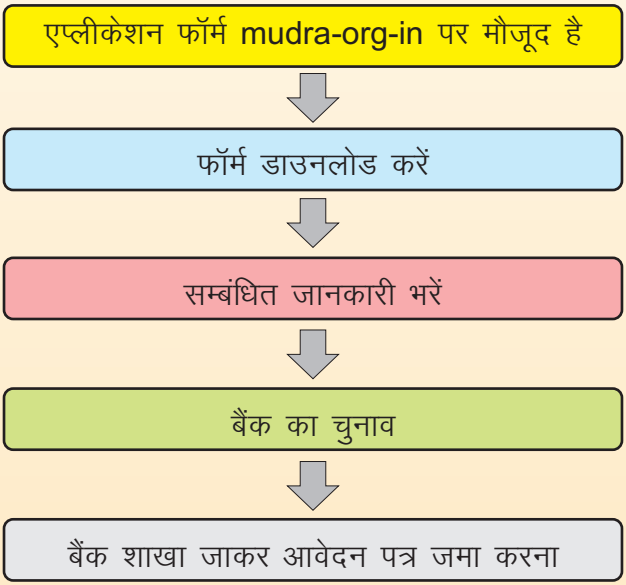

जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषिवानिकी खाद्य उत्पादन का एकीकृत और टिकाऊ मॉडल बनकर उभरी है। कृषि फसलों या पशु के साथ वृक्ष प्रजातियों का एकीकरण छोटे एवं भूमिहीन किसानों के कृषि उत्पादकता के साथ ईंधन, फाइबर और उर्वरक के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करती है। खेत में लगे पेड़ लकड़ी आधारित उद्योगों का समर्थन करके विविध गैर–कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इतने महत्वपूर्ण

योगदानों के बावजूद किसानों में कृषिवानिकी को अपने खेत पर लगाने की दर काफी कम है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर और ग्रामीण आजीविका के उत्थान के लिए केंद्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना झाँसी में सन 1988 की गई थी। यह संस्थान भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में सीमांत और बंजर भूमि के लिए स्थायी कृषिवानिकी प्रणालियों का विकास करता है, विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करता है, कृषि वानिकी के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु ग्रामीण लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है।

संस्थान द्वारा प्रकाशित इस प्रसार पत्रक का मुख्य उद्देश्य कृषि समबन्धित सरकारी योजनाओं की जागरूकता स्तर को बढ़ाना है।

मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश: डॉ. ए. अरूणाचलम, निदेशक
सम्पादन: डॉ. आर.पी. द्विवेदी एवं डॉ. प्रियंका सिंह
तकनीकी सहायता: अजय पान्डेय एवं प्रद्युम्न सिंह, छायांकन: राजेश कुमार श्रीवास्तव

प्रकाशक:
निदेशक
भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
झाँसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, झाँसी 284003 (उ.प्र.)
+91-510-2730214 director.cafri@icar.gov.in https://cafri.icar.gov.in
Twitter: #icarcafri LinkedIn: #icarcafri Instagram: #ic Facebook: #icarcafri

मुद्रक : क्लासिक इण्टरप्राइजेज, झाँसी. 7007122381